न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 04/2019

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

प्रहलाद बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी 1लगा0 3 की ओर से

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 372.2 किलोग्राम गेहूँ व 42.35 किलोग्राम चीनी को राजसात करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, लालसोट ने 372.2 किलोग्राम गेहूँ व 42.35 किलोग्राम चीनी को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डावरी ने प्रकरण सं. 33/2018 अंतर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री प्रहलाद बैरवा पुत्र सोनीराम बैरवा निवासी महारिया थाना मण्डावरी जिला दौसा से 327.2 किलोग्राम गेहूँ व 42.35 किलोग्राम चीनी जब्त की गई थी। उक्त माल पुलिस थाना मण्डावरी के मालखाना में रखा हुआ है। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावरी ने अवगत कराया है कि उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध अपराध धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में प्रमाणित पाया गया है। अतः जब्त किये गये 327.2 किलोग्राम गेहूँ व 42.35 किलोग्राम चीनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने के आदेश फरमावें।
4. अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस मे दलील दी कि राशन डीलर की दिनांक 03.01.2018 को कालाबाजारी की शिकायत की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 30.01.2018 को राशन डीलर को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की तामील दिनांक 15.10.2018 को बहुत विलंब से कराई गई है। अप्रार्थी सं0 01 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया। अपीलांट राशन डीलर के साथ–साथ काश्तकार भी है जो अपनी फसल को मंडी मे बेचने के लिए लाया था। जिसको कालाबाजारी बताया गया। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की राशन सामग्री की कालाबाजारी नही की गई है। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अप्रार्थी के विरूद्ध गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडावरी ने जिला रसद अधिकारी दौसा को पृष्ठांकित पत्र में लिखा गया है कि प्रकरण सं. 33/2018 अंतर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री प्रहलाद बैरवा पुत्र सोनीराम बैरवा निवासी महारिया थाना मण्डावरी जिला दौसा से 327.2 किलोग्राम गेहूँ व 42.35 किलोग्राम चीनी जब्त की गई थी। उक्त माल पुलिस थाना मण्डावरी के मालखाना में रखा हुआ है। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावरी ने अवगत कराया है कि उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध अपराध धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में प्रमाणित पाया गया है। लेकिन थानाधिकारी, पुलिस थाना मंडावरी के पत्र से यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि राशन डीलर द्वारा किस प्रकार किन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं दी जाकर राशन सामग्री का दुरूपयोग अथवा गबन किया गया है। प्रा0 पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक: 14 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:54:45 IST
Reason: SelfAttested